संख्या 24/19/2014—पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
.....

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 05/08/ 2014

सेवा में,

श्री सन्तोष कुमार,
पुत्र श्री रामदेव शर्मा,
ग्राम–पोथा, पो0–पेाथी,
तहसील–गभाना, जिला–अलीगढ,
उत्तरप्रदेश–202136।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

......

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके प्रथम अपील के संदर्भ में जारी आदेश दिनांक 16.07.2014 के संबंध में माँगी गई सूचना निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	प्रत्युत्तर
1	पदम पुरस्कार समिति द्वारा किसी भी नामांकन के स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण अंकित नहीं किया जाता है।
2	पदम पुरस्कार समिति द्वारा चयनित नामों के संबंध में ही जॉच एजेंसीयों द्वारा उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जॉच कराई जाती है। इन जॉच एजेंसीयों के नाम निम्न हैः सी बी आई, आई बी, रॉ, प्रवर्तन निदेशालय, सेबी, केन्द्रिय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रिय उत्पाद सतर्कता ब्यूरो एवं राजस्व सतर्कता विभाग।
3	पदम पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पदम विभूषण किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, पदम भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए एवं पदम श्री विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते है। पदम पुरस्कारों के लिए अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों को प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई पदम पुरस्कार समिति के आगे विचारार्थ रखा जाता है। समिति सभी नामों पर विचार करने के बाद अंतिम रुप से चयनित व्यक्तियों के नाम को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजती है।
4	संबंधित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की परिभाषानुसार सूचना की श्रेणी में नहीं आती है।
5	वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन से सरकारी कर्मचारियों, पी एस यु में कार्यरत सहित की पात्रता पदम पुरस्कारों हेतू समाप्त कर दी गई थी। वर्ष 2012 में इस आदेश को संसोधित करते हुए सरकारी डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों को पदम पुरस्कारों के लिए पात्रता प्रदान कर दी गई थी।
6	पदम पुरस्कार 2015 के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2014 है। पदम पुरस्कारों के लिए प्रोफार्मा इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध है।
7	पदम पुरस्कार समिति 2014 के सदस्यों के नाम निम्न हैः • कैबिनेट सचिव • गृह सचिव • राष्ट्रपति के सचिव • प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव • श्री जमशेद गोदरेज • सुश्री मीरा नायर • डॉ अनिल काकोडकर
8	पदम पुरस्कारों से संबंधित नियमावली संलग्न है।

9	कृप्या बिन्दु 2 का प्रत्युत्तर देखें।
10	वर्ष 2014 के लिए पदम पुरस्कारें हेतू अंतिम तिथि तक कुल 1857 आवेदन प्राप्त हुए थे।
11	वर्ष 2014 के पदम पुरस्कारों के लिए आपका नाम स्वनामांकित था।
12	पदम पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किए जाते है। पदम पुरस्कारों के प्रमाण पत्र व्यक्ति विशेष के लिए बनाए जाते हैं और उनकी कोई प्रति इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।
13	पदम पुरस्कार पुरस्कृत व्यक्तियों को कोई सुविधाएँ प्रदान नही की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को प्राप्त होने वाली सूविधाएँ निम्न हैं– क. भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को सम्मान समारोह के दौरान पदक एवं एक प्रशस्तिपत्र दिया जाता है। ख. इन्डियन एयरलाइन्स /एयर इंडिया के विमानों मे इन्हे आजीवन निःशुल्क एक्जक्युटिव वर्ग में यात्रा करने की छुट दी जाती है। ग. सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिए गए हैं कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को उनके निवास राज्य के अलावे अन्य राज्यों में प्रवास के दौरान राजकिय अतिथि का दर्जा दिया जाए। घ. भारतीय मिशनों को भी उनके प्रवास के दौरान समुचित सुविधाएँ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
14	भारत रत्न एवं पदम पुरस्कारों के साथ एक पदक एवं राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद प्रदान किया जाता है।

2. इस मामले मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा संख्या 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

श्यामला मोहन

(श्यामला मोहन)

निदेशक एवं केन्द्रिय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपिः

अनुभाग अधिकारी(आई टी) गृह मंत्रालय को आवेदन की प्रति के साथ मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतू।

Sl No. 5(R)

R- 193/ ... 06/06

RTI MATTER/TIME BOUND

(325)

No. A- 43020/ 01 /2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
*****

288637 ... 10/6/14

New Delhi, Dated the 4/6/ 2014.

Subject: First Appeal filed by Shri/Smt/Kum.......Santosh Kumar.. under Section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005.

*****

This Ministry has received a first appeal dated ...02/05/2014 under the RTI Act, 2005 filed by Shri/Smt/Kum....Santosh Kumar............ .... (received on ..../......./201) in connection with the information sought through his/her RTI application dated ..21/02/2014

2. Since the RTI application dated ..21/02/2014 was earlier dealt with by/transferred/forwarded to .....Administration.....Division............ the appeal is forwarded to the concerned ~~Appellate~~ Authority(ies) for taking appropriate action in the matter.

Encl: As above.

(V.K. Rajan)
Deputy Secretary (E) & CPIO

To

Director (A&V)
Ministry of Home Affairs
North Block, New Delhi

First appeal

Copy for information to:

Shri/Smt/Kum. Santosh Kumar
S/o Sh. Ramdev Sharma
Village Potha P.O. Pothi
Teh. Gabhana, Distt. Aligarh
Pin-202136 (Uttar Pradesh).

6/6/14

09/06

ws (P)

6/6

सेवा में,

अपीलीय अधिकारी
(सूचना का अधिकार)
गृह मन्त्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

महोदय जी,

सविनय निवेदन है कि मैं, सन्तोष कुमार सुपुत्र श्री रामदेव शर्मा, गाँव - पोथा, पोस्ट - पोथी, तहसील - गभाना, जिला - अलीगढ़ - 202136 (उत्तर प्रदेश) का निवासी हूँ। मैंने एक RTI आवेदन पत्र गृह मन्त्रालय को दिया। दिनाँक 21-02-2014 है एवं गृह मन्त्रालय की RTI Fees रसीद जिसका संख्या : 28981 है।

मेरा RTI आवेदन पत्र पद्म सम्मानों के सम्बन्ध में था।

काफी दिन व्यतीत हो गये यानि RTI आवेदन पत्र को दिये 2 महिने से भी अधिक हो गये लेकिन मेरे द्वारा माँगी गयी सूचना मुझे नहीं मिली है।

मेरे RTI आवेदन पत्र के सम्बन्ध में एक पत्र मिला है जिसकी संख्या : A-43020/01/2014-RTI Dated 04-03-2014, मुझे बताया गया है कि मेरा आवेदन पत्र निदेशक (पी एंड बी), गृह मन्त्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजा गया है। लेकिन मेरे द्वारा माँगी गयी सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई।

मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा माँगी गयी सूचना अतिशीघ्र दी या दिलायी जाय। अगर देरी हुई तो मैं द्वितीय अपील केन्द्रीय सूचना आयोग, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली को देने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा।

सकारात्मक विचार के साथ।

दिनाँक : 22-05-2014

आपका
Santosh Kumar

Regd (...)

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली
2 9 MAY 2014
के.र.सं. / C.R. No. 282759
के.र.अनुभाग / CR Section

CR - 314016/Dir (A&V)/14 - Sl No. 3(R)

~~To be replied in Hindi.~~ **RTI MATTER/TIME BOUND**

21/07

431

No. A- 43020/ 01 /2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
*****

New Delhi, Dated the 17th July, 2014.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: 1st Appeal under Section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005 filed by Shri Narayankumar Bahad.

****

The undersigned is directed to refer to the 1st Appeal dated 02/07/2014 (received in this Ministry on 07/07/2014) filed by Shri Narayankumar Bahad with reference to his RTI application dated 17/05/2014.

2. Since the application of Shri Bahad was forwarded to the Administration Division of this Ministry vide RTI Section's O.M. dated 28/05/2014 (copy enclosed), the 1st Appeal is being forwarded to the concerned authority for taking necessary action.

Encl: As above.

(S. Samanta)
Under Secretary to the Govt. of India.

To

Director (A&V),
Ministry of Home Affairs
North Block
New Delhi.

Copy for information to:

Pandit Narayankumar Bahad,
Shiv Colony, Post Medta City
Distt. Nagore – 341 510
Rajasthan .

21/7/14

US(P)

21/7

SO(P) 21/07

PF/Control R/49-Ad-V
Govt of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralay
***

North Block, New Delhi
Dated 6th August, 2014

OFFICE ORDER

Consequent upon his appointment as ASI/RO in Control Room of this Ministry on deputation basis w.e.f 16.06.2014 (FN) and exercising option to avail pay in the higher scale granted under MACP Scheme, the pay of Shri Narender Singh is fixed in the following manner:

Pay in parent cadre in PB-2 Grade Pay Rs.4200/- granted under MACP Scheme as on 16.06.2014	Rs.10,910-+Rs.4,200/- =Rs.15,110/-
Pay fixed on joining MHA Control Room as per option exercised to draw pay granted under MACP Scheme in PB-2 Grade Pay Rs.4200/- as on 16.06.2014	Rs.10,910-+Rs.4,200/- =Rs.15,110/-
Pay on grant of annual increment as on 01.07.2014	Rs.11,370/-+Rs.4,200/- =Rs.15,570/-

2. The pay fixation is subject to audit check and necessary recovery of excess payment, if any, will be made in the light of audit observation.

(Shibatosh Banerji)
Under Secretary to Govt. of India
Tele No. 2309 3094

To

1. The Pay and Accounts Office (Sectt.), MHA, Jam Nagar House, New Delhi.
2. Cash-I Section, MHA, North Block (with one spare copy).
3. Shri Narender Singh, ASI/RO(CRPF), Control Room, MHA, North Block.

Copy to:-

1. Director (IS.II), IS.I Division, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. their O.O. No.I-11011/55/2009-IS.IV dated 30.06.2014.
2. Duty Officer, Control Room, MHA, North Block.
3. Cash-II/Ad.III/Ad.III(A)/Vigilance Cell/ACR Cell/Library, MHA.
4. Service Book of the official concerned
5. SO (IT) for uploading on e-office website.